जनपद के भीतर स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अध्यापकों हेतु दिशा निर्देश

1– उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या–1088/79–5–2016–15 (149) /2010 दिनांक 13.06.2017 के अनुक्रम में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय अध्यापकों के जनपद के भीतर के स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सम्पादित की जा रही है।

2– **जनपद के भीतर स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र विद्यालयों तथा नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र के विद्यालयों में ही किये जायेंगे।**

2– जनपद के भीतर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक अध्यापक/अध्यापिकाएं **ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व जनपद के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय/बी0आर0सी0 से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।**

3– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय/बी0आर0सी0 कार्यालय में स्थानान्तरण हेतु प्रदर्शित की जा रही सूची में सम्मिलित विद्यालयों के रिक्त पदों के प्रति ही किये गये ऑनलाइन आवेदन पर विचार किया जाना संभव होगा। उससे भिन्न किसी अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने की दशा में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– अध्यापकों हेतु विद्यालयों के विकल्प में सम्बन्धित जनपद के सैलरी डाटा में उपलब्ध सभी विद्यालयों की सूची प्रदर्शित होगी, परन्तु अध्यापक/अध्यापिकायें उन्ही विद्यालयों को विकल्प के रूप में चुनें जो सम्बन्धित जनपद के बी0एस0ए0/बी0आर0सी0 कार्यालय द्वारा विद्यालयों की रिक्तियां प्रदर्शित की हों।

5– स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आवेदन पत्र की वांछित सूचनाएं यथा– प्रथम नियुक्ति तिथि, आधार संख्या, पैन संख्या, वेतन खाता संख्या, जन्मतिथि, पॉच विद्यालयों के नाम जहॉ रिक्ति हो इत्यादि तैयार कर लें जिससे आवेदन करने में कोई कठिनाई न हो। **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अध्यापकों को उनके पैन संख्या/आधार संख्या के प्रयोग पर अपनी सहमति प्रदान करनी होगी।**

6– स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अध्यापकों के वेतन भुगतान सम्बन्धी सैलरी डाटा पर आधारित है, ऐसी स्थिति में सैलरी डाटा में उल्लिखित पैन संख्या–, खाता संख्या, कार्यरत विद्यालय की प्रविष्टि करने पर ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र में निर्धारित प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त अपनी निर्धारित साइज की फोटो (अधिकतम 20 के0बी0, जे0पी0ई0जी0 या पी0एन0जी0 फारमेट में) अपलोड करना अनिवार्य होगा।

7– स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त अध्यापक द्वारा जांच हेतु भरे गये आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट लिया जा सकता है जिसमें कोई त्रुटि होने पर उसे संशोधित कर Final Submit कर उसका दो प्रति प्रिन्ट आउट लेना होगा जिसमें एक प्रति को सम्बन्धित साक्ष्यों सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में **दिनांक 21.08.2017 से 29.08. 2017** के मध्य अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

8– Final Submit करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को पूर्ण माना जायेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र पर विचार किया जा पाना संभव नहीं होगा। Final Submit करने के उपरांत आवेदन पत्र में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा

9– Final Submit करने पर ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर ऑनलाइन संस्तुति हेतु उपलब्ध होगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्तुत आवेदनों पर ही विचार होगा।

10– चूंकि अध्यापक/अध्यापिका सैलरी का बैंक खाता संख्या तथा पैनकार्ड संख्या का प्रयोग कर के ही ऑनलाइन प्रक्रिया में लॉगिन करेंगे तथा उनमें कोई कठिनाई हो रही है तो वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अपने डाटा की जानकारी प्राप्त कर लें तथा जो डाटा सैलरी डाटा में उपलब्ध है उसी का प्रयोग करते हुये आनलाइन आवेदन करें।

11– रिक्तियों, शिक्षकों की सैलरी डाटा में किसी तरह की विसंगति के लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। डाटा के विसंगति अथवा किसी तरह की अन्य समस्या का निवारण का उत्तरदायित्व बेसिक शिक्षा विभाग का होगा।

12– ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी समस्या हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद में **<u>हेल्पलाइन नम्बर 9455413563 पर सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पर्क करें।</u>**

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।